जल संरक्षण   जीवन संरक्षण

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
जल निस्सरण प्रमंडल, दरभंगा
{E-mail ID-eedddbg@gmail.com }
Mobile No-7463889858

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–NIQ No.01/2026-27

पत्रांकः–   /दरभंगा,   दिनांकः–

जल निस्सरण प्रमंडल, दरभंगा के अधीन योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण तथा उच्चाधिकारियों की बैंठक में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु भाड़े पर निरीक्षण वाहन बोलेरो/स्कार्पियों (चालक सहित) वितीय वर्ष 2026–27 के लिए आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों/फर्मो से मुहबंद लिफाफा में कोटेशन के शर्तो के साथ कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। जिसका विवरणी निम्न हैः–

क्र0	कार्यान्वित अवधि	अदद्	वाहन का प्रकार	अभियुक्ति
i.	01.05.2026 से 31.03.2027 तक	01 अदद्	स्कार्पियों/समकक्ष वाहन	
ii.	01.05.2026 से 30.05.2026 तक	02 अदद्	बोलेरो/समकक्ष वाहन	
iii.	01.06.2026 से 31.10.2026 तक	04 अदद्	बोलेरो/समकक्ष वाहन	
iv.	01.11.2026 से 31.03.2027 तक	02 अदद्	बोलेरो/समकक्ष वाहन	

1. कोटेशनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, दरभंगा
2. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– दिनांकः– 17/04/2026
3. कोटेशन जमा करने की तिथि :– दिनांक 28/04/2026 को 10:00 बजे पूर्वाहन से 03:00 बजे अपराहृन तक
4. कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :– (i) मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर।
   (ii) अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा।
   (iii) कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, दरभंगा।
5. कोटेशन खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :– दिनांक 28/04/2026 के अपराहृन 03:30 बजे कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, दरभंगा का कार्यालय।
6. कार्य विवरणी तथा नियम एवं शर्ते :– अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

17/04/26
कार्यपालक अभियंता
जल निस्सरण प्रमंडल, दरभंगा।
17.04.026

कोटेशन पर वाहन रखने की शर्ते निम्नवत् है :—

(क) तकनीकि निविदा शर्ते।

1. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण—पत्र एवं फिटनेस प्रमाण—पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
2. वाहन मालिक / फर्म का आधार कार्ड, जी0एस0टी0, पैन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।

(ख) सामान्य अन्य शर्ते।

1. भाड़े पर वाहन क्रमांक i, क्रमांक ii, क्रमांक iii, क्रमांक iv, पर अंकितअवधि तक के लिए लिया जायेगा। व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का मॉडल 2020 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख—रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक / फर्म द्वारा किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक / फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शूल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन मालिक / फर्म का जी0एस0टी0 एवं आयकर निबंधन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक / फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिदिन ईधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारण वाहन मालिक की जबावदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भाड़े का भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन का ईधन रहित (चालक सहित) मासिक का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरानामा समाप्त किया जा सकता है। एकरारनामा 10000 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
11. वाहन का किराया अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा के पत्रांक—907 दिनांक—25 / 10 / 2021 द्वारा निर्धारित अधिकतम उद्धत दर प्रतिमाह में से न्यूनतम दर स्वीकार होगा तथा भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा।
12. बाढ़ अवधि एवं कटाव निरोधक कार्य की अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनों समय में किया जाता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्त्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक कार्यो में नहीं करेंगे।
14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक / फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगे। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान में से दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।

15. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 14 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे।
16. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।
17. शपथ-पत्र एवं वाँछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
18. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अघोहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट एवं वेबसाईट www.wrd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
19. निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्र0	वाहन का प्रकार	कार्यान्वित अवधि	अदद्	ईंधन रहित मासिक भाड़ा रूपये में

ह0/

कार्यपालक अभियंता
जल निस्सरण प्रमंडल, दरभंगा।

पत्रांक 291 दरभंगा, दिनांकः- 17.04.26

प्रतिलिपिः- जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट एवं चार मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/04/26
कार्यपालक अभियंता
जल निस्सरण प्रमंडल, दरभंगा।
17.04.026